ई–मेल / फैक्स / स्पीड पोस्ट

महत्वपूर्ण / समयवद्ध

संख्या–जी 383 / 5–01(अति0) / 2017

प्रेषक,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद, उ0प्र0
लखनऊ।

सेवा में,

1– समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

2– समस्त मण्डलायुक्त
उत्तर प्रदेश।

अनुभाग–5 लखनऊः दिनांक 3-X-2017 ~~सितम्बर, 2017~~

विषयः राज्य में एंटी भू–माफिया अभियान को तेजी से चलाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि सम्बन्धी **शासनादेश संख्या**–402 / 1–2–2017–1(समान्य) / 2017 दिनांक 01–05–2017 द्वारा प्रदेश में चार स्तरीय एण्टी भू–माफिया टास्क फोर्स गठन किया गया है। परिषदादेश संख्या–R-1082 / जी–05–01अति0 / 2017 दिनांक 08–05–2017 द्वारा राजस्व ग्रामों में पंचायत / सार्वजनिक भूमि / सम्पत्ति से अतिक्रमण हटाने व भू–माफियाओं के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु विस्तृत निर्देश निर्गत किया जा चुका है। मा0 मुख्यमंत्री जी अध्यक्षतता में दिनांक 02 अगस्त, 2017 को आयोजित वीडियो कान्फ्रेन्स का कार्यवृत्त पृष्ठांकन संख्या–1404 / 31–2017–11 / 2012 दिनांक 29–08–2017 निर्गत किया जा चुका है।

राज्य स्तरीय एंटी भू–माफिया टास्क फोर्स की बैठक दिनांक 06–09–2017 को सम्पन्न हुई है। उक्त बैठक का कार्यवृत्त पृष्ठांकन संख्या–680 / एक–2–2017–01 (समान्य) / 2017 दिनांक 12–09–2017 निर्गत किया जा चुका है।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्नलिखित बिन्दुओं पर कार्यवाही कराना सुचिश्चित करें :–

(i) एंटी भू–माफिया टास्क फोर्स के माध्यम से पेशेवर भू–माफियाओं द्वारा अवैध रूप से सरकारी, गैर सरकारी अथवा ग्राम पंचायत की कब्जा की गयी भूमि को खाली कराया जाय। जिलाधिकारियों द्वारा पेशेवर भू–माफियाओं को सूचीबद्ध करके उनके द्वारा अवैध रूप से कब्जा की गई भूमि को खाली कराने के साथ ही उनसे वसूली की कार्यवाही की जाय।

(ii) जिलाधिकारी द्वारा समस्त लेखपालों से आगामी 15 दिनों में अपने क्षेत्रों में ग्राम सभा भूमि पर भू–माफियाओं एवं अतिक्रमणकर्ताओं के अवैध कब्जे से मुक्त करायी गयी भूमि तथा अवैध अतिक्रमण दर्ज वादों में अन्तर्गस्त भूमि तथा अवशेष ग्राम सभा भूमि पर अवैध न होने की वांछित सूचना सहित प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्राप्त कर लिया जाए तथा अवैध कब्जों से सम्बन्धित लम्बित राजस्व वादों का निस्तारण नियमानुसार प्राथमिकता से सुनिश्चित कराया जाय।

जिलाधिकारी परिषदादेश संख्या–जी342 / 05–01(अति0) / 2017 दिनांक 12–09–2017 द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए इस

~2~

परिषदादेश के साथ संलग्न **प्रपत्र–1 " ग्राम पंचायत की अतिक्रमित भूमि के सम्बन्ध में विवरण तथा लेखपाल का प्रमाण पत्र"** अनिवार्य रूप से तत्काल प्राप्त कर लें।

(iii)– उल्लेखनीय है कि जिलाधिकारियों को जनपद में अतिक्रमणग्रस्त गाटों का विवरण परिषदादेश संख्या–जी 342/05–01 (अति0)/2017 दिनांक 12–09–2017 के साथ संलग्न **'प्रपत्र–2'** के प्रारूप पर **परिषद** को दिनांक 20–09–2017 तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये है।

यह अवगत कराना है कि राजस्व परिषद के आधिकारिक वेबसाइट **bor.up.nic.in** के **"अन्य महत्वपूर्ण लिंक "** के अन्तर्गत "एंटी भू–माफिया टास्क फोर्स द्वारा कृत कार्यवाही की सूचना" के उपलिंक में ही **प्रपत्र–2: जनपद में अतिक्रमणग्रस्त गाटों का विवरण'** का लिंक उपलब्ध कराया गया है। जिलाधिकारी परिषद के आधिकारिक वेबसाइट के उक्त लिंक पर उपलब्ध **'प्रपत्र–2'** की सूचना तत्काल फीड कराना सुनिश्चित करें।

(iv)– विभागों के प्रबन्धाधीन राजकीय भूमि एवं ग्राम सभा भूमि के सम्बन्ध में भू–माफियाओं तथा अतिक्रमणकर्ताओं के विरूद्ध दर्ज मुकदमों के निस्तारण की प्रभावी कार्यवाही तत्परता से सुनिश्चित करायी जाय। भू–माफियाओं तथा अतिक्रमणकर्ताओं के विरूद्ध अभियान चलाकर नियमानुसार विधिक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए अवैध कब्जों से भूमि को मुक्त कराया जाय। भू–माफियाओं तथा अतिक्रमणकर्ताओं से सम्बन्धित समस्त शिकायतें चाहे वे किसी भी माध्यम से प्राप्त हुई हो, **उन्हें एंटी भू–माफिया पोर्टल पर दर्ज कर प्रभावी निस्तारण कराया जाय।**

(v)–एंटी भू–माफिया अभियान के अन्तर्गत जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठके अगले 10 दिन के भीतर आयोजित कराकर भू–माफियाओं तथा अतिकमणकर्ताओं कब्जे की भूमि को चिन्हित करते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार प्रभावी कार्यवाही प्राथमिकता पर सुनिश्चित करायी जाय।

(vi)– भू–माफियाओं का चिन्हांकन प्राथमिकता के आधार पर करके उनके विरूद्ध दर्ज एफ0आई0आर0 की तत्परता से विवेचना कराकर भू–माफियाओं की गिरफ्फतारी सुनिश्चित करायी जाए तथा आरोप–पत्र सक्षम न्यायालय में दर्ज कराया जाय।

(vii)–भू–माफियाओं के चिन्हीकरण के लिए जिलाधिकारी तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विश्लेषण कर भू–माफियाओं का चिन्हांकन कराया जाय।

(viii)– जिलाधिकारी ग्राम सभा, शासकीय भूमि/सम्पत्ति पर अबैध कब्जे/अतिक्रमण एवं चिन्हित भू–माफियाओं के विरूद्ध कृत कार्यवाही की सूचना परिषद के आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध **प्रपत्र–'अ' 'ब'** व **'स'** तथा जनपद में अतिकमणग्रस्त गाटों का विवरण **'प्रपत्र–2'** में फीड कराते हुए इसे नियमित रूप से अद्यतन रखना सुनिश्चित करें। सूचना फीड करते समय यह अवश्य सुनिश्चित कर लिया जाये कि तथ्य/आकड़े वास्तविक हो।

(ix)– दिनांक 01–05–2017 के बाद ग्राम सभा भूमि व शासकीय सम्पत्ति/भूमि पर अवैध अतिक्रमण/कब्जा एवं अतिक्रमणकर्ताओं/भू–माफिया सम्बन्धी ऐसी सभी प्राप्त शिकायतें अथवा अवैध अतिक्रमण/कब्जा एवं अतिक्रमणकर्ता/भू–माफियाओं के विरूद्ध स्वतः संज्ञान से

की गयी कार्यवाही, जो अभी तक एंटी भू–माफिया पोर्टल पर दर्ज नहीं है, उन्हें एक अभियान चलाकर विलम्बतम **एक सप्ताह के अन्दर** दर्ज करा लिया जाय।

कृपया मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में दिये गये निर्देशों तथा प्रमुख सचिव राजस्व, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए वस्तुस्थिति से शासन एवं परिषद को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

3/10/17

(लीना जौहरी),
आयुक्त एवं सचिव।

संख्या एवं दिनांकः यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है–

1–स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, राजस्व, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2–प्रमुख सचिव, राजस्व, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3–समन्वय प्रकोष्ठ, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
4–गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुनील कुमार चौधरी),
उप भूमि व्यवस्था आयुक्त
कृते आयुक्त एवं सचिव।